पंजीकृत
ई, मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन/ फैक्स नं0 :– +91-8126660575::
पता –: माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक :– 3409 /12–1(2) दिनांक 18/04 /2023::
सेवा में

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

विषय :– **जनपद–रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत 126 कि0मी0 ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल लाईन निर्माण हेतु 1.455 है0 वन भूमि का (to provide stability to Tunnel T 14) गैर वानिकी कार्यों हेतु रेल विकास निगम लि0 को प्रत्यावर्तन। PROPOSAL NO.- FP/UK/RAIL/148846/2021**

सन्दर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–8बी./यू.सी.पी./07/31/2022/एफ.सी./759 दिनांक 30.08.2022 तथा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र संख्या–2062/FP/UK/RAIL/148846/2021 दिनांक 01.03.2023।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में भारत सरकार स्तर से प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की संशोधित अनुपालन आख्या मुख्य परियोजना प्रबन्धक, रेल विकास निगम लि0, ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल परियोजना ने अपने पत्रांक–RVNL/RKSH(Cors)/1/2020/CIVIL/RKSH/1261 दिनांक 16.03.2023 के द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत की है, जो (प्रश्न एवं उत्तर कॉलमवार/बिन्दुवार) निम्न प्रकार प्रेषित है–

बि.सं.	शर्त का विवरण	आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3	**प्रतिपूरक वनीकरणः–**	
(क)	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.91 है0 अवनत वन भूमि लनगाड़ क0सं0–4अ पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा **प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिये।**	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
(ग)	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। उक्त संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–1)**
(घ)	प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन एवं और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्राविधान शामिल किये जा सकते हैं।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन एवं और स्तंभन एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव की लागत रुपये **11,87,257.00 (ग्यारह लाख सत्तासी हजार, दो सौ सत्तावन) मात्र की धनराशि** अग्रिम रूप से कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है। **(संलग्नक–2)**

क्रमशः :–2 पर

Scanned with OKEN Scanner

5	**शुद्ध वर्तमान मूल्य**	
(क)	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WC (C) संख्या: 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998– एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006– एफ0सी0 दिनांक 03.10. 2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.69 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त के अनुपालन में इस प्रस्ताव के तहत 1.455 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य **रुपये 18,81,097.00 (अट्ठारह लाख, इक्यासी हजार, सत्तानबे) मात्र की धनराशि** कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है। **(संलग्नक–2 के अनुसार)**
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्धता प्रस्तुत की गई है। **(संलग्नक–3)**
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनत्तम रखेगा जो कि प्रस्ताव के अनुसार 25 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में कुल **रुपये 30,68,354.00 (तीस लाख, अड़सठ हजार, तीन सौ चव्वन) मात्र की धनराशि** ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किया की गई है। **(संलग्नक–2 के अनुसार)**
8	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जाएगी।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
9	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा तथा संबंधित प्रमाण पत्र पूर्व में पोर्टल पर अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न कर प्रेषित कर दिये गये हैं।
10	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति लागू नहीं है।
11	केन्द सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
12	वन भूमि पर श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

क्रमश :–3 पर

Scanned with OKEN Scanner

13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
14	सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
15	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
16	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
17	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग. अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
18	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–एफसी दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
20	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
21	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
22	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार। (मूल सहित तीन प्रतियों में)

भवदीय

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

संख्या– 3409 /दिनांकित।
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, रेल विकास निगम लि0, ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल परियोजना।

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

Scanned with OKEN Scanner

17/03/2023 प्रथम

रेल विकास निगम लिमिटेड
Rail Vikas Nigam Limited
गुणवत्ता, गति एवं पारदर्शिता
(A Government of India Enterprise)

मुख्य परियोजना प्रबंधक कार्यालय
(ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई रेल लाईन परियोजना)
Office of Chief Project Manager
(Rishikesh-Karanprayag New BG Rail Line Project)
RVNL Office Building, Opp. GST Bhavan, Next to GMVN, Shyampur Bypass Road, Rishikesh - 249201
Email: rvnlrksh1@gmail.com, Tel: +91-135-2432008

RVNL/RKSH/FRST(Cors)/1/2020/CIVIL/RKSH/ 1261 **Dated:16.03.2023**

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रुद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड

विषय:- जनपद -रुद्रप्रयाग के अंतर्गत 126 कि 0 मी 0 ऋषिकेश - कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण हेतु अतिरिक्त 1.455 है 0 वन भूमि का (to provide stability to Tunnel T14) गैर वानिकी कार्यो हेतु रेल विकास निगम लि 0 को प्रत्यावर्तन। (Online No .FP/UK/RAIL/148846/2021)

सन्दर्भ:-1. सहायक महानिरीक्षक (वन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8 बी./यू 0 सी 0 पी 0 /07 /31 / 2022 /एफ.सी./759 दिनांक 30. 08. 2022।
2. आपका पत्रांक - 797 /12 -1 (2) रुद्रप्रयाग दिनांक 06. 09. 2022।
3. इस कार्यालय का पत्राक **RVNL/RKSH/FRST(Cors)/1/2020/CIVIL/RKSH/787** दिनांक 06.12.2022
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी का पत्र दिनांक **2062/FP/UK/RAIL/148846/2021** दिनांक 01.03.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें संदर्भित पत्र संख्या -1 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा परियोजना हेतु सैद्धान्तिक /सैधांतिक स्वीकृति शर्तो के साथ प्रदान की गयी है तथा आपके पत्र के माध्यम से आवश्यक धनराशि एवं शर्तो को इस कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित किया गया है। सन्दर्भित पत्र संख्या -1 एवं 2 में उल्लेखित शर्तो की आख्या निम्वत प्रेषित की जा रही है:

क्रं0 सं0	**निर्धारित शर्ते /आपत्तियां**	**अनुपालन /शर्तो का निराकरण**
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	अनुपालन किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।	अनुपालन किया जायेगा।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण** (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.91 है 0 अवनत वन भूमि लनगाड क0 स 0 4 अ पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहा तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचे तथा **प्रतिपूरक वनीकरण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।** (ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी. ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। (घ) प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0 एम0 एल0 फाइल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0 एम0 सी कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0 एल0 एम0 पी क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणो के साथ ई -ग्रीन वॉच पोर्टल अपलोड किया जाएगा।	रुद्रप्रयाग वन प्रभाग से सम्बन्धित है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक	आपके पत्रांक -797 /12 -1(2) रुद्रप्रयाग दिनांक

Scanned with OKEN Scanner

	वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भ की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते है।	06.09. 2022 के माध्यम से शर्त संख्या 3 (क) एवं 4 के अनुपालन में **रु0 11,87,257.00 (ग्यारह लाख, सत्तासी हज़ार, दो सौ सत्तावन)** की धनराशि की मांग की गई थी, जिसकी अनुपालना सुनिश्चित करते हुए विभाग द्वारा देय राशि दिनांक 22. 11. 2022 को जमा करा दी गई है (प्रतिलिपि संलग्न)
5	**शुद्ध वर्तमान मूल्य** (क) इस संबंध में भारत के सर्वोच्य न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04. 2008 एवं 09.05. 2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ. सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006 - एफ. सी. दिनांक 03.10. 2006 एवं 5-3 /2007 -एफ. सी. दिनांक 05.02. 2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.455 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	आपके पत्रांक -797 /12 -1(2) रुद्रप्रयाग दिनांक 06.09. 2022 के माध्यम से शर्त संख्या 5 (क) के अनुपालन में **रु0 18,81,097.00 (अट्ठारह लाख, इक्यासी हज़ार, सत्तानवे)** की धनराशि की मांग की गई थी, जिसकी अनुपालना सुनिश्चित करते हुए विभाग द्वारा देय राशि दिनांक 22. 11. 2022 को जमा करा दी गई है (प्रतिलिपि संलग्न) शपथ-पत्र संलग्न।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 25 वृक्षों से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	अनुपालन किया जायेगा।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई -पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और और योजना प्राधिकरण फंड में स्थान्तरित /जमा किये जायेंगे।	अनुपालन किया गया है। निर्धारित धनराशि ई -पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से दिनांक 22.11. 2022 को जमा करवा दी गयी है (संलग्न)।
8	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह के अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जाएगी।	अनुपालन किया जायेगा।
9	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण -पत्र के माध्यम से किया जाएगा।	अनुपालन कर आख्या को परिवेश पोर्टल पर अपलोड एवं हार्ड कॉपी के माध्यम से जमा करा दिया गया है।
10	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति लागू नहीं होती है।
11	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा।
12	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा।
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य क़ानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी , विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा एवं मजदूरों हेतु वैकल्पिक ईंधन की पूर्ति उपलब्ध कराई जाएगी।
14	संबंधित मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा। जिस पर Forward/Backwardbearings अंकित होगा।	वन प्रभाग रुद्रप्रयाग द्वारा इस दिशा में अगर कोई निर्देश प्रयोक्ता अभिकरण को प्राप्त होने पर, अनुपालन किया जाएगा।

Scanned with OKEN Scanner

15	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा।
16	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु ही किया जाएगा। अतः अनुपालन किया जाएगा।
17	केंद्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियो, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही की जाएगी।	अनुपालन किया जाएगा।
18	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017 - FC दिनांक 29.01. 2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	उपरोक्त सभी शर्तो का पालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्ण रूप से किया जाएगा।
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व् विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास हेतु जो भी शर्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की जाएँगी, उनका प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाएगा।
20	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारे बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व, इनका स्थिलीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण ने विस्तृत मक डंपिंग प्लान वनाकर परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है एवं मक डंपिंग यार्ड में निहित वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा। वन प्रभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।
21	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/ अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	अनुपालन किया जाएगा।
22	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (Https://parivesh.nic.in पर अपलोड की जाएगी।	अनुपालन कर दिया गया है।

उपरोक्त शर्तो के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सभी शर्तो के सम्बन्ध में वांछित आख्या आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः आप से अनुरोध है कि प्रकरण को विधिवत स्वीकृति हेतु उच्च स्तर पर प्रेषित करने का कष्ट करें। जिससे कि प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति की प्रक्रिया आरम्भ की जा सके। नोडल अधिकारी उत्तराखण्ड द्वारा की गई नवीनतम आपत्ति के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 06.12.2022 को पुनरीक्षित कर पुनः सेवा में प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार

भवदीय

(अजीत सिंह यादव)
मुख्य परियोजना प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित:

1. अपर प्रमुख वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–2062 / FP/UK/RAIL/148846/2021 :देहरादून:दिनांक: 1-3. ~~फरवरी~~, 2023

सेवा में,

1. वन संरक्षक,
   गढ़वाल वृत्त,
   उत्तराखण्ड, पौड़ी।

2. उप वन संरक्षक,
   रूद्रप्रयाग वन प्रभाग,
   रूद्रप्रयाग।

विषय :– जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत 126 किमी0 ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल लाईन के निर्माण हेतु 1.455 है0 वन भूमि का (to provide stability to Tunnel T 14) गैर वानिकी कार्यों हेतु रेल विकास निगम लि0 को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :–आपकी पत्र संख्या–1917/12–1 दिनांक 25–01–2023 एवं प्रभागीय वनाधिकारी का पत्रांक–2354/12–1(2) दिनांक 12–01–2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिससे विषयांकित प्रकरण में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। उक्त प्रेषित अनुपालन आख्या के शर्त संख्या–2 के अनुपालन में आपके द्वारा एवं प्रभागीय वनाधिकारी के सन्दर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, जबकि प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने पत्रांक RVNL/RKSH/FRST(Cors)/1/2020/CIVIL/RKSH/787, दिनांक 06–12–2022 से प्रभागीय वनाधिकारी को प्रेषित अनुपालन आख्या में शर्त संख्या–2 के अनुपालन में **"लागू नहीं"** अंकित किया गया है।

कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुये सुस्पष्ट बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रस्तावक विभाग से प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

01/03/23

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या– / FP/UK/RAIL/148846/2021 दिनांकित।

प्रतिलिपि :–मुख्य परियोजना प्रबन्धक, रेल विकास निगम लि0, ऋषिकेश–कर्णप्रयाग, रेल परियोजना, ऋषिकेश, देहरादून को उनके पत्र दिनांक 06–12–2022 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–2 उक्त प्रकरण में क्यों लागू नहीं है ? उक्त के सम्बन्ध कोई पत्र/आख्या सम्बन्धित वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

14-3-23

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक -①

प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद–रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत 126 कि0मी0 ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल लाईन निर्माण हेतु 1.455 है0 वन भूमि का **(to provide stability to Tunnel T 14)** गैर वानिकी कार्यों हेतु रेल विकास निगम लि0 को प्रत्यावर्तन। **PROPOSAL NO.- FP/UK/RAIL/148846/2021**

प्रमाणित किया जाता है उक्त परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने वाली 1.455 है0 वन भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु **चयनित 2.910 है0 लनगाड़ क0सं0–4अ आरक्षित वन भूमि** वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है एवं उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

R.O
N. Jakholi

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक -②

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 15-11-2022

Agency Name.	CPM RISHIKESH OFFICE RAIL VIKAS NIGAM LIMITED
Application No.	59148846995
MoEF/SG File No.	8B/UCP/07/31/2022/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	RVNL Office Building, Opposite GST Bhawan, Next to GMVN, Shyampur Bypass Road, RishikeshDehradun
Amount(in Rs)	3068354/-

Amount in Words :Thirty Lakh Sixty-Eight Thousand Three Hundred and Fifty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508959148846995 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 15-11-2022

Agency Name.	CPM RISHIKESH OFFICE RAIL VIKAS NIGAM LIMITED
Application No.	59148846995
MoEF/SG File No.	8B/UCP/07/31/2022/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	RVNL Office Building, Opposite GST Bhawan, Next to GMVN, Shyampur Bypass Road, Rishikesh Dehradun
Amount(in Rs)	3068354/-

Amount in Words :Thirty Lakh Sixty-Eight Thousand Three Hundred and Fifty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508959148846995 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Scanned with OKEN Scanner

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/RAIL/148846/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/RAIL/148846/2021) Development of 126 Km Long Rishikesh- Karnprayag New BG Rail Link in the State of Uttarakhand - Additional Land at Ratura	RAIL1488462021995	59148846995	30 Aug 2022	CA: 1187257/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 1881097/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 3068354/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 09 Nov 2022 Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 15 Nov 2022 Transaction Date: 22 Nov 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/05112022134127031 4_FPUKRAIL14884 Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=RAIL14
2	FP/UK/RAIL/148884/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/RAIL/148884/2021) Development of 126 Km Long Rishikesh- Karnprayag New BG Rail Link in the State of Uttarakhand - Additional Civil Soyam Land at Sirobgarh Village	RAIL1488842021375	59148884375	31 Aug 2022	CA: 1370853/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 2171988/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 3542841/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 16 Nov 2022 Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 16 Nov 2022 Transaction Date: 21 Nov 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/15112022134255433 5_FPUKRAIL14888 Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=RAIL14

SWACHH BHARAT (HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/) (WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)
(HTTPS://DATA.GOV.IN/) india.gov.in (HTTPS://INDIA.GOV.IN/) myGov (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/) MeitY
(HTTP://MEITY.GOV.IN/) (HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/) NIC (HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

Scanned with OKEN Scanner

(5)

संलग्नक -3

शपथ -पत्र

विषय:- जनपद -रुद्रप्रयाग के अंतर्गत 126 कि 0 मी 0 ऋषिकेश - कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण हेतु अतिरिक्त 1.455 है 0 वन भूमि का (to provide stability to Tunnel T14) गैर वानिकी कार्यो हेतु रेल विकास निगम लि 0 को प्रत्यावर्तन। (Online No .FP/UK/RAIL/148846/2021)

सहायक महानिरीक्षक (वन), पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय , देहरादून का पत्रांक 8 बी./यू 0 सी 0 पी 0 /07 /31 / 2022 /एफ.सी./759 दिनांक 30. 08. 2022 द्वारा वर्णित क्र. सं. 5 (ख) में उल्लेखित, "विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त धनराशि का भुगतान किया जाएगा। उपरोक्त शर्त का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

अजीत सिंह यादव
मुख्य परियोजना प्रबंधक
रेल विकास निगम लि 0
ऋषिकेश -कर्णप्रयाग रेल परियोजना

Scanned with OKEN Scanner

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- mocf.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/07/31/2022/एफ.सी. 1759 दिनांकः30/08/2022

सेवा में,
अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद–रूद्रप्रयाग के अंतर्गत 126 कि0मी0 ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल लाईन निर्माण हेतु अतिरिक्त 1.455 हे0 वन भूमि का **(to provide stability to Tunnel T 14)** गैर वानिकी कार्यो हेतु रेल विकास निगम लि0 को प्रत्यावर्तन। **(Online No. FP/UK/RAIL/148846/2021)**

सन्दर्भः– सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या–423/x-3-22/1(17)/2022 दिनांक 02.05.2022

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/दस्तावेज प्राप्त किये गये, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त तथा प्रस्ताव पर Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 17.08.2022 को हुई बैठक में संस्तुति होने के उपरान्त केन्द्र सरकार– **जनपद–रूद्रप्रयाग के अंतर्गत 126 कि0मी0 ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल लाईन निर्माण हेतु अतिरिक्त 1.455 हे0 वन भूमि का (to provide stability to Tunnel T 14) गैर वानिकी कार्यो हेतु रेल विकास निगम लि0 को प्रत्यावर्तन** किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरणः**
   (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.91 हे0 अवनत वन भूमि लनगाड क0सं0 4 अ पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा **प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।**
   ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।
   घ) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा ।
4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

Scanned with OKEN Scanner

5. शुद्ध वर्तमान मूल्य

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.455 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 25 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

7. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।

8. गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशो के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश मे उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।

9. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

10. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।

11. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

12. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

14. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।

15. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

16. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

17. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

18. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।

19. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

2/3 contd..

Scanned with OKEN Scanner

20. प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।
21. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
22. अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

Gnaswane 30.08.22
(गजेंद्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः
1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

/

(गजेंद्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक -①

प्रमाण—पत्र

परियोजना का नाम :— जनपद—रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत 126 कि0मी0 ऋषिकेश—कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल लाईन निर्माण हेतु 1.455 है0 वन भूमि का **(to provide stability to Tunnel T 14)** गैर वानिकी कार्यो हेतु रेल विकास निगम लि0 को प्रत्यावर्तन। **PROPOSAL NO.- FP/UK/RAIL/148846/2021**

प्रमाणित किया जाता है उक्त परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने वाली 1.455 है0 वन भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु **चयनित 2.910 है0 लनगाड़ क0सं0—4अ आरक्षित वन भूमि** वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है एवं उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

R.O
N. Jakholi

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

संलग्नक -2

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 15-11-2022

Agency Name.	CPM RISHIKESH OFFICE RAIL VIKAS NIGAM LIMITED
Application No.	59148846995
MoEF/SG File No.	8B/UCP/07/31/2022/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	RVNL Office Building, Opposite GST Bhawan, Next to GMVN, Shyampur Bypass Road, RishikeshDehradun
Amount(in Rs)	3068354/-

Amount in Words :Thirty Lakh Sixty-Eight Thousand Three Hundred and Fifty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508959148846995 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 15-11-2022

Agency Name.	CPM RISHIKESH OFFICE RAIL VIKAS NIGAM LIMITED
Application No.	59148846995
MoEF/SG File No.	8B/UCP/07/31/2022/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	RVNL Office Building, Opposite GST Bhawan, Next to GMVN, Shyampur Bypass Road, Rishikesh Dehradun
Amount(in Rs)	3068354/-

Amount in Words :Thirty Lakh Sixty-Eight Thousand Three Hundred and Fifty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508959148846995 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Scanned with OKEN Scanner

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/RAIL/148846/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/RAIL/148846/2021) Development of 126 Km Long Rishikesh- Kamprayag New BG Rail Link in the State of Uttarakhand - Additional Land at Ratura	RAIL1488462021095	591488466995	30 Aug 2022	CA : 1187257/-, Addl CA : 0/-, PCA : 0/-, CAT : 0/-, Safety Zone : 0/-, Addl PA : 0/-, NPV : 1881097/-, Other Charges : 0/-, Other Charges1 : 0/-, Other Charges2 : 0/-, Other Charges3 : 0/-, Total : 3068354/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 09 Nov 2022 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 15 Nov 2022 Transaction Date : 22 Nov 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/05112022134127031 4_FPUKRAIL14884 Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=RAIL14
2	FP/UK/RAIL/148884/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/RAIL/148884/2021) Development of 126 Km Long Rishikesh- Kamprayag New BG Rail Link in the State of Uttarakhand - Additional Civil Soyam Land at Sirobgarh Village	RAIL1488842021375	591488843 75	31 Aug 2022	CA : 1370853/-, Addl CA : 0/-, PCA : 0/-, CAT : 0/-, Safety Zone : 0/-, Addl PA : 0/-, NPV : 2171988/-, Other Charges : 0/-, Other Charges1 : 0/-, Other Charges2 : 0/-, Other Charges3 : 0/-, Total : 3542841/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 16 Nov 2022 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 16 Nov 2022 Transaction Date : 21 Nov 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/15112022134255433 5_FPUKRAIL14888 Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=RAIL14

SWACHH BHARAT (HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/) (WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)
(HTTPS://DATA.GOV.IN/) india.gov.in (HTTPS://INDIA.GOV.IN/) myGov (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/) MeitY
(HTTP://MEITY.GOV.IN/) (HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/) (HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)
For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक - ③

शपथ -पत्र

विषय:- जनपद -रुद्रप्रयाग के अंतर्गत 126 कि 0 मी 0 ऋषिकेश - कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण हेतु अतिरिक्त 1.455 है 0 वन भूमि का (to provide stability to Tunnel T14) गैर वानिकी कार्यो हेतु रेल विकास निगम लि 0 को प्रत्यावर्तन। (Online No .FP/UK/RAIL/148846/2021)

सहायक महानिरीक्षक (वन), पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय , देहरादून का पत्रांक 8 बी./यू 0 सी 0 पी 0 /07 /31 / 2022 /एफ.सी./759 दिनांक 30. 08. 2022 द्वारा वर्णित क्र. सं. 5 (ख) में उल्लेखित, "विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त धनराशि का भुगतान किया जाएगा। उपरोक्त शर्त का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

अजीत सिंह यादव
मुख्य परियोजना प्रबंधक
रेल विकास निगम लि 0
ऋषिकेश -कर्णप्रयाग रेल परियोजना

Scanned with OKEN Scanner

रेल विकास निगम लिमिटेड
Rail Vikas Nigam Limited
गुणवत्ता, गति एवं पारदर्शिता
(A Government of India Enterprise)

मुख्य परियोजना प्रबंधक कार्यालय
(ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई रेल लाईन परियोजना)
Office of Chief Project Manager
(Rishikesh-Karanprayag New BG Rail Line Project)
RVNL Office Building, Opp. GST Bhawan, Next to GMVN, Shyampur
Bypass Road, Rishikesh - 249201
Email: [illegible]@gmail.com, Tel: +91-135-2432008

RVNL/RKSH/FRST(Cors)/1/2020/CIVIL/RKSH/787 Dated:06.12.2022

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रुद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड

विषय:- जनपद -रुद्रप्रयाग के अंतर्गत 126 कि 0 मी 0 ऋषिकेश - कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण हेतु अतिरिक्त 1.455 है 0 वन भूमि का (to provide stability to Tunnel T14) गैर वानिकी कार्यो हेतु रेल विकास निगम लि 0 को प्रत्यावर्तन। (Online No .FP/UK/RAIL/148846/2021)

सन्दर्भ:- 1. सहायक महानिरीक्षक (वन), पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय , देहरादून का पत्रांक 8 बी./यू 0 सी 0 पी 0 /07 /31 / 2022 /एफ.सी./759 दिनांक 30. 08. 2022 I
2. आपका पत्रांक - 797 /12 -1 (2) रुद्रप्रयाग दिनांक 06. 09. 2022 I

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें संदर्भित पत्र संख्या -1 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा परियोजना हेतु सैद्धान्तिक /सैधांतिक स्वीकृति शर्तो के साथ प्रदान की गयी है तथा आपके पत्र के माध्यम से आवश्यक धनराशि एवं शर्तो को इस कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित किया गया है। सन्दर्भित पत्र संख्या -1 एवं 2 में उल्लेखित शर्तो की आख्या निम्वत प्रेषित की जा रही है:

क्रं0 सं0	निर्धारित शर्ते /आपत्तियां	अनुपालन /शर्तो का निराकरण
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने के उपरांत वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।	लागू नही है
3	**प्रतिपूरक वनीकरण** (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.91 है 0 अवनत वन भूमि लनगाड क0 स 0 4 अ पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहा तक व्यावहारिक हो , स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचे तथा **प्रतिपूरक वनीकरण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।** (ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी. ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। (घ) प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0 एम्0 एल0 फाइल , क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0 एम0 सी कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0 एल0 एम0 पी क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणो के साथ ई -ग्रीन वॉच पोर्टल अपलोड किया जाएगा।	रुद्रप्रयाग वन प्रभाग से सम्बन्धित है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर , यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक	आपके पत्रांक -797 /12 -1(2) रुद्रप्रयाग दिनांक 06.09. 2022 के माध्यम से शर्त संख्या 3 (क) एवं

Scanned with OKEN Scanner

	वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भ की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते है।	4 के अनुपालन में **रु0 11,87,257.00 (ग्यारह लाख, सत्तासी हज़ार, दो सौ सत्तावन)** की धनराशि की मांग की गई थी, जिसकी अनुपालना सुनिश्चित करते हुए विभाग द्वारा देय राशि दिनांक 22.11.2022 को जमा करा दी गई है (प्रतिलिपि संलग्न)
5	**शुद्ध वर्तमान मूल्य** (क) इस संबंध में भारत के सर्वोच्य न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04. 2008 एवं 09.05. 2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ. सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006 - एफ. सी. दिनांक 03.10. 2006 एवं 5-3 /2007 -एफ. सी. दिनांक 05.02. 2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.455 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	आपके पत्रांक -797 /12 -1(2) रुद्रप्रयाग दिनांक 06.09. 2022 के माध्यम से शर्त संख्या 5 (क) के अनुपालन में **रु0 18,81,097.00 (अट्ठारह लाख, इक्यासी हज़ार, सत्तानवे)** की धनराशि की मांग की गई थी, जिसकी अनुपालना सुनिश्चित करते हुए विभाग द्वारा देय राशि दिनांक 22. 11. 2022 को जमा करा दी गई है (प्रतिलिपि संलग्न) शपथ-पत्र संलग्न।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 25 वृक्षों से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यविक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	अनुपालन किया जायेगा।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई -पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रवंधन और और योजना प्राधिकरण फंड में स्थान्तरित /जमा किये जायेंगे।	अनुपालन किया गया है। निर्धारित धनराशि ई -पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से दिनांक 22.11. 2022 को जमा करवा दी गयी है (संलग्न)।
8	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह के अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जाएगी।	अनुपालन किया जायेगा।
9	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण -पत्र के माध्यम से किया जाएगा।	अनुपालन कर आख्या को परिवेश पोर्टल पर अपलोड एवं हार्ड कॉपी के माध्यम से जमा करा दिया गया है।
10	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति लागू नहीं होती है।
11	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा।
12	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा।
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य क़ानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी , विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा एवं मजदूरों हेतु वैकल्पिक ईंधन की पूर्ति उपलब्ध कराई जाएगी।
14	संबंधित मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा। जिस पर Forward/Backwardbearings अंकित होगा।	वन प्रभाग रुद्रप्रयाग द्वारा इस दिशा में अगर कोई निर्देश प्रयोक्ता अभिकरण को प्राप्त होने पर, अनुपालन किया जाएगा।
15	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के	अनुपालन किया जाएगा।

Scanned with OKEN Scanner

	लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।	
16	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु ही किया जाएगा। अतः अनुपालन किया जाएगा।
17	केंद्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियो, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही की जाएगी।	अनुपालन किया जाएगा।
18	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017 - FC दिनांक 29.01. 2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	उपरोक्त सभी शर्तो का पालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्ण रूप से किया जाएगा।
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व् विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास हेतु जो भी शर्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की जाएँगी, उनका प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाएगा।
20	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारे बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व, इनका स्थिलीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण ने विस्तृत मक डंपिंग प्लान वनाकर परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है एवं मक डंपिंग यार्ड में निहित वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा। वन प्रभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।
21	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/ अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	अनुपालन किया जाएगा।
22	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (Https://parivesh.nic.in पर अपलोड की जाएगी।	अनुपालन कर दिया गया है।

उपरोक्त शर्तों के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सभी शर्तो के सम्बन्ध में वांछित आख्या आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः आप से अनुरोध है कि प्रकरण को विधिवत स्वीकृति हेतु उच्च स्तर पर प्रेषित करने का कष्ट करें। जिससे कि प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति की प्रक्रिया आरम्भ की जा सके।

संलग्रक – उपरोक्तानुसार

भवदीय

(अजीत सिंह यादव)
मुख्य परियोजना प्रबंधक
रेल विकास निगम लि 0
ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित:

1. अपर प्रमुख वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।

Scanned with OKEN Scanner

रेल विकास निगम लिमिटेड
Rail Vikas Nigam Limited
गुणवत्ता, गति एवं पारदर्शिता
(A Government of India Enterprise)

मुख्य परियोजना प्रबंधक कार्यालय
(ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई रेल लाईन परियोजना)
Office of Chief Project Manager
(Rishikesh-Karanprayag New BG Rail Line Project)
RVNL Office Building, Opp. GST Bhavan, Next to GMVN, Shyampur
Bypass Road, Rishikesh - 249201
Email: rvnlrksh1@gmail.com, Tel: +91-135-2432008

RVNL/RKSH/FRST(Cors)/1/2020/CIVIL/RKSH/787 Dated:06.12.2022

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रुद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड

विषय:- जनपद -रुद्रप्रयाग के अंतर्गत 126 कि 0 मी 0 ऋषिकेश - कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण हेतु अतिरिक्त 1.455 है 0 वन भूमि का (to provide stability to Tunnel T14) गैर वानिकी कार्यो हेतु रेल विकास निगम लि 0 को प्रत्यावर्तन। (Online No .FP/UK/RAIL/148846/2021)

सन्दर्भ:- 1. सहायक महानिरीक्षक (वन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8 बी./यू 0 सी 0 पी 0 /07 /31 / 2022 /एफ.सी./759 दिनांक 30. 08. 2022।
2. आपका पत्रांक - 797 /12 -1 (2) रुद्रप्रयाग दिनांक 06. 09. 2022।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें संदर्भित पत्र संख्या -1 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा परियोजना हेतु सैद्धान्तिक /सैधांतिक स्वीकृति शर्तो के साथ प्रदान की गयी है तथा आपके पत्र के माध्यम से आवश्यक धनराशि एवं शर्तो को इस कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित किया गया है। सन्दर्भित पत्र संख्या -1 एवं 2 में उल्लेखित शर्तो की आख्या निम्वत प्रेषित की जा रही है:

क्र0 सं0	निर्धारित शर्ते /आपत्तियां	अनुपालन /शर्तो का निराकरण
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने के उपरांत वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।	लागू नही है एवं दोगुनी अवक्रमित वन भूमि (Degraded Forest Land) पर प्रतिपूरक वनीकरण कराने हेतु कैम्पा फंड में देय राशि जमा करा दिया गया हैं।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण** (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.91 है 0 अवनत वन भूमि लनगाड क0 स 0 4 अ पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहा तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचे तथा **प्रतिपूरक वनीकरण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।** (ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी. ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	आपके पत्रांक -797 /12 -1(2) रुद्रप्रयाग दिनांक 06.09. 2022 के माध्यम से शर्त संख्या 3 (क) एवं 4 के अनुपालन में **रु0 11,87,257.00 (ग्यारह लाख, सत्तासी हज़ार, दो सौ सत्तावन)** की धनराशि की मांग की गई थी, जिसकी अनुपालना सुनिश्चित करते हुए विभाग द्वारा देय राशि दिनांक 22. 11. 2022 को जमा करा दी गई है (प्रतिलिपि संलग्न)

Scanned with OKEN Scanner

	(घ) प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0 एम0 एल0 फाइल , क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0 एम0 सी कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0 एल0 एम0 पी क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणो के साथ ई -ग्रीन वॉच पोर्टल अपलोड किया जाएगा।	
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर , यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भ की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते है।	आपके पत्रांक -797 /12 -1(2) रुद्रप्रयाग दिनांक 06.09. 2022 के माध्यम से शर्त संख्या 3 (क) एवं 4 के अनुपालन में **रु0 11,87,257.00 (ग्यारह लाख, सत्तासी हज़ार, दो सौ सत्तावन)** की धनराशि की मांग की गई थी, जिसकी अनुपालना सुनिश्चित करते हुए विभाग द्वारा देय राशि दिनांक 22. 11. 2022 को जमा करा दी गई है (प्रतिलिपि संलग्न)
5	**शुद्ध वर्तमान मूल्य** (क) इस संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04. 2008 एवं 09.05. 2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ. सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006 - एफ. सी. दिनांक 03.10. 2006 एवं 5-3 /2007 -एफ. सी. दिनांक 05.02. 2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.455 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	आपके पत्रांक -797 /12 -1(2) रुद्रप्रयाग दिनांक 06.09. 2022 के माध्यम से शर्त संख्या 5 (क) के अनुपालन में **रु0 18,81,097.00 (अट्ठारह लाख, इक्यासी हज़ार, सत्तानवे)** की धनराशि की मांग की गई थी, जिसकी अनुपालना सुनिश्चित करते हुए विभाग द्वारा देय राशि दिनांक 22. 11. 2022 को जमा करा दी गई है (प्रतिलिपि संलग्न) शपथ-पत्र संलग्न।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 25 वृक्षों से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	अनुपालन किया जायेगा।
7 ✗	The Reclamation plan is submitted for Rs. 43,75, 698/- for 1.68 Ha area which appears to be on higher side. The Forest Department shall review the reclamation plan and charge the user agency accordingly as per CA norms. प्रयोक्ता अभिकरण भूमि का समतलीकरण एवं अन्य सभी प्रकार के कार्य करने के पश्चात मलवा निस्तारण क्षेत्र को वृक्षारोपण हेतु वन विभाग सौपेंगे।	अनुपालन स-शर्त किया जायेगा।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई -पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानतरित /जमा किये जायेंगे।	अनुपालन किया गया है। निर्धारित धनराशि ई -पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से दिनांक 22.11. 2022 को जमा करवा दी गयी है (संलग्न)।
8	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी	अनुपालन किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

	कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह के अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जाएगी।	
9	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण -पत्र के माध्यम से किया जाएगा।	अनुपालन कर आख्या को परिवेश पोर्टल पर अपलोड एवं हार्ड कॉपी के माध्यम से जमा करा दिया गया है।
10	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति लागू नहीं होती है।
11	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा।
12	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा।
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य क़ानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी , विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा एवं मजदूरों हेतु वैकल्पिक ईंधन की पूर्ति उपलब्ध कराई जाएगी।
14	संबंधित मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा। जिस पर Forward/Backwardbearings अंकित होगा।	वन प्रभाग रुद्रप्रयाग द्वारा इस दिशा में अगर कोई निर्देश प्रयोक्ता अभिकरण को प्राप्त होने पर, अनुपालन किया जाएगा।
15	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा।
16	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु ही किया जाएगा। अतः अनुपालन किया जाएगा।
17	केंद्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियो, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही की जाएगी।	अनुपालन किया जाएगा।
18	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017 - FC दिनांक 29.01. 2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	उपरोक्त सभी शर्तो का पालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्ण रूप से किया जाएगा।
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व् विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास हेतु जो भी शर्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की जाएँगी, उनका प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाएगा।
20	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि नही किया जायेगा।	प्रत्यावर्तन हेतु चयनित स्थल से उत्सर्जित मलवे को पुर्व में अधिकृत मलवे स्थान (मक डंपिंग यार्ड) पर ही किया जायेगा।
21	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/ अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	अनुपालन किया जाएगा।
22	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (Https://parivesh.nic.in पर अपलोड की जाएगी।	अनुपालन कर दिया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त शर्तों के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सभी शर्तों के सम्बन्ध में वांछित आख्या आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः आप से अनुरोध है कि प्रकरण को विधिवत स्वीकृति हेतु उच्च स्तर पर प्रेषित करने का कष्ट करें। जिससे कि प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति की प्रक्रिया आरम्भ की जा सके।

संलग्नक - यथोपरि।

भवदीय

अजीत सिंह यादव
मुख्य परियोजना प्रबंधक
रेल विकास निगम लि 0
ऋषिकेश -कर्णप्रयाग रेल परियोजन

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषितः

1. अपर प्रमुख वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।

प्राप्त 12/12/2022

व० अ० एव० अ० मुख्य० को
प्र० व० अधि०

Scanned with OKEN Scanner

पंजीकृत

ई. मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन/ फैक्स नं0 :- +91-8126660575::
पता -: माईं की मढ़ी निकट जवाड़ी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक :- 2354/12-1(2) दिनांक 12/01 /2022::

सेवा में

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय :- जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत 126 कि0मी0 ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल लाईन निर्माण हेतु 1.455 है0 वन भूमि का (to provide stability to Tunnel T 14) गैर वानिकी कार्यों हेतु रेल विकास निगम लि0 को प्रत्यावर्तन। PROPOSAL NO.- FP/UK/RAIL/148846/2021

सन्दर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या-8बी./यू.सी.पी./07/31/2022/एफ.सी./759 दिनांक 30.08.2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में भारत सरकार स्तर से प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या मुख्य परियोजना प्रबन्धक, रेल विकास निगम लि0, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना ने अपने पत्रांक-787 दिनांक 06.12.2022 के द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत की है, जो (प्रश्न एवं उत्तर कॉलमवार/बिन्दुवार) निम्न प्रकार प्रेषित है-

बि.सं.	शर्त का विवरण	आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण:-**	
(क)	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.91 है0 अवनत वन भूमि लनगाड़ क0सं0-4अ पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा **प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिये।**	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
(ग)	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। उक्त संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक-1)**
(घ)	प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन एवं और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्राविधान शामिल किये जा सकते हैं।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन एवं और स्तंभन एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव की लागत **रुपये 11,87,257.00 (ग्यारह लाख सत्तासी हजार, दो सौ सत्तावन) मात्र की धनराशि** अग्रिम रूप से कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है। **(संलग्नक-2)**

क्रमशः :-2 पर

Scanned with OKEN Scanner

5	**शुद्ध वर्तमान मूल्य**	
(क)	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WC (C) संख्या: 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998– एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006– एफ0सी0 दिनांक 03.10. 2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.69 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त के अनुपालन में इस प्रस्ताव के तहत 1.455 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य **रुपये 18,81,097.00 (अट्ठारह लाख, इक्यासी हजार, सत्तानबे) मात्र की धनराशि** कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है। **(संलग्नक–2 के अनुसार)**
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्धता प्रस्तुत की गई है। **(संलग्नक–3)**
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनत्तम रखेगा जो कि प्रस्ताव के अनुसार 25 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में कुल **रुपये 30,68,354.00 (तीस लाख, अड़सठ हजार, तीन सौ चव्वन) मात्र की धनराशि** ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किया की गई है। **(संलग्नक–2 के अनुसार)**
8	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जाएगी।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
9	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा तथा संबंधित प्रमाण पत्र पूर्व में पोर्टल पर अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न कर प्रेषित कर दिये गये हैं।
10	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	उक्त शर्त लागू नहीं है।
11	केन्द सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
12	वन भूमि पर श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

क्रमश :–3 पर

Scanned with OKEN Scanner

13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
14	सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
15	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
16	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
17	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
18	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–एफसी दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाही होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
20	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
21	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
22	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार। (मूल सहित तीन प्रतियों में)

भवदीय

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या– 2354 /दिनांकित।
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, रेल विकास निगम लि0, ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल परियोजना।

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

Scanned with OKEN Scanner

रेल विकास निगम लिमिटेड
Rail Vikas Nigam Limited
गुणवत्ता, गति एवं पारदर्शिता
(A Government of India Enterprise)

मुख्य परियोजना प्रबंधक कार्यालय
(ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई रेल लाईन परियोजना)
Office of Chief Project Manager
(Rishikesh-Karanprayag New BG Rail Line Project)
RVNL Office Building, Opp. GST Bhavan, Next to GMVN, Shyampur
Bypass Road, Rishikesh - 249201
Email: rvnlrksh1@gmail.com, Tel: +91-135-2432008

RVNL/RKSH/FRST(Cors)/1/2020/CIVIL/RKSH/ 787 **Dated:06.12.2022**

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रुद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड

विषय:- जनपद -रुद्रप्रयाग के अंतर्गत 126 कि 0 मी 0 ऋषिकेश - कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण हेतु अतिरिक्त 1.455 है 0 वन भूमि का (to provide stability to Tunnel T14) गैर वानिकी कार्यो हेतु रेल विकास निगम लि 0 को प्रत्यावर्तन। (Online No .FP/UK/RAIL/148846/2021)

सन्दर्भ:- 1. सहायक महानिरीक्षक (वन), पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय , देहरादून का पत्रांक 8 बी./यू 0 सी 0 पी 0 /07 /31 / 2022 /एफ.सी./759 दिनांक 30. 08. 2022 I
2. आपका पत्रांक - 797 /12 -1 (2) रुद्रप्रयाग दिनांक 06. 09. 2022 I

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें संदर्भित पत्र संख्या -1 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा परियोजना हेतु सैद्धान्तिक /सैधांतिक स्वीकृति शर्तो के साथ प्रदान की गयी है तथा आपके पत्र के माध्यम से आवश्यक धनराशि एवं शर्तो को इस कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित किया गया है। सन्दर्भित पत्र संख्या -1 एवं 2 में उल्लेखित शर्तो की आख्या निम्न्वत प्रेषित की जा रही है:

क्रं0 सं0	निर्धारित शर्ते /आपत्तियां	अनुपालन /शर्तो का निराकरण
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने के उपरांत वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।	लागू नही है
3	**प्रतिपूरक वनीकरण** (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.91 है 0 अवनत वन भूमि लनगाड क0 स 0 4 अ पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहा तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचे तथा **प्रतिपूरक वनीकरण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।** (ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी. ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। (घ) प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0 एम्0 एल0 फाइल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोषण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0 एम0 सी कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0 एल0 एम0 पी क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणो के साथ ई -ग्रीन वॉच पोर्टल अपलोड किया जाएगा।	रुद्रप्रयाग वन प्रभाग से सम्बन्धित है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक	आपके पत्रांक -797 /12 -1(2) रुद्रप्रयाग दिनांक 06.09. 2022 के माध्यम से शर्त संख्या 3 (क) एवं

Scanned with OKEN Scanner

	वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भ की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते है।	4 के अनुपालन में **रु0 11,87,257.00 (ग्यारह लाख, सत्तासी हज़ार, दो सौ सत्तावन)** की धनराशि की मांग की गई थी, जिसकी अनुपालना सुनिश्चित करते हुए विभाग द्वारा देय राशि दिनांक 22. 11. 2022 को जमा करा दी गई है (प्रतिलिपि संलग्न)
5	**शुद्ध वर्तमान मूल्य** (क) इस संबंध में भारत के सर्वोच्य न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04. 2008 एवं 09.05. 2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ. सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006 - एफ. सी. दिनांक 03.10. 2006 एवं 5-3 /2007 -एफ. सी. दिनांक 05.02. 2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.455 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	आपके पत्रांक -797 /12 -1(2) रुद्रप्रयाग दिनांक 06.09. 2022 के माध्यम से शर्त संख्या 5 (क) के अनुपालन में **रु0 18,81,097.00 (अट्ठारह लाख, इक्यासी हज़ार, सत्तानवे)** की धनराशि की मांग की गई थी, जिसकी अनुपालना सुनिश्चित करते हुए विभाग द्वारा देय राशि दिनांक 22. 11. 2022 को जमा करा दी गई है (प्रतिलिपि संलग्न) शपथ-पत्र संलग्न।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 25 वृक्षों से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	अनुपालन किया जायेगा।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई -पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानतरित /जमा किये जायेंगे।	अनुपालन किया गया है। निर्धारित धनराशि ई -पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से दिनांक 22.11. 2022 को जमा करवा दी गयी है (संलग्न)।
8	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह के अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जाएगी।	अनुपालन किया जायेगा।
9	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण -पत्र के माध्यम से किया जाएगा।	अनुपालन कर आख्या को परिवेश पोर्टल पर अपलोड एवं हार्ड कॉपी के माध्यम से जमा करा दिया गया है।
10	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति लागू नहीं होती है।
11	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा।
12	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा।
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य क़ानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी , विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा एवं मजदूरों हेतु वैकल्पिक ईंधन की पूर्ति उपलब्ध कराई जाएगी।
14	संबंधित मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा। जिस पर Forward/Backwardbearings अंकित होगा।	वन प्रभाग रुद्रप्रयाग द्वारा इस दिशा में अगर कोई निर्देश प्रयोक्ता अभिकरण को प्राप्त होने पर, अनुपालन किया जाएगा।
15	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के	अनुपालन किया जाएगा।

Scanned with OKEN Scanner

	लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।	
16	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु ही किया जाएगा। अतः अनुपालन किया जाएगा।
17	केंद्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियो, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही की जाएगी।	अनुपालन किया जाएगा।
18	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017 - FC दिनांक 29.01. 2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	उपरोक्त सभी शर्तो का पालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्ण रूप से किया जाएगा।
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व् विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास हेतु जो भी शर्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की जाएँगी, उनका प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाएगा।
20	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारे बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व, इनका स्थिलीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण ने विस्तृत मक डंपिंग प्लान वनाकर परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है एवं मक डंपिंग यार्ड में निहित वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा। वन प्रभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।
21	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/ अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	अनुपालन किया जाएगा।
22	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (Https://parivesh.nic.in पर अपलोड की जाएगी।	अनुपालन कर दिया गया है।

उपरोक्त शर्तो के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सभी शर्तो के सम्बन्ध में वांछित आख्या आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः आप से अनुरोध है कि प्रकरण को विधिवत स्वीकृति हेतु उच्च स्तर पर प्रेषित करने का कष्ट करें। जिससे कि प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति की प्रक्रिया आरम्भ की जा सके।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार

भवदीय

(अजीत सिंह यादव)
मुख्य परियोजना प्रबंधक
रेल विकास निगम लि 0
ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित:

1. अपर प्रमुख वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।

Scanned with OKEN Scanner